भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4016

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2015/29 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

कंपनियों के लिए निधियां

4016. मोहम्मद फैज़ल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में स्टार्ट-अप कंपनियों की स्थापना के लिए विशेष निधि शुरू/सृजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इन निधियों के स्रोतों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) वर्ष 1995 से विभिन्न उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) में अंशदान कर रहा है। वर्ष 2014-15 के बजट में स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए इक्विटी, अर्ध इक्विटी, सुलभ कर्ज और अन्य जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने के माध्यम से निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में दस हजार करोड़ रुपए की निधि का प्रस्ताव किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहले ही प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) कमी से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 10,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है।

*****